तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज आम जनता लालसोट बनाम तहसीलदार लालसोट अपील जीसीएमएस नं 2024/18	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.07.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील अपील अपीलान्ट उपस्थित। वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील को अब आगे नहीं चलाना चाहते हुए प्रकरण को इसी स्तर पर नोटप्रेस में खारिज किये जाने का कथन करते हुए न्यायालय की आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर किये। हमने अधिवक्ता अपीलान्ट के कथनों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे विदित होता है कि प्रकरण मंदिर मूर्ति से संबंधित प्रतीत होता है। पूर्व में भी प्रकरण में जॉच कर यदि प्रकरण रेफरेन्स योग्य पाया जाये तो यथाशीघ्र सक्षम न्यायालय में रेफरेन्स प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी की गई थी। तहसीलदार की पालना में रिपोर्ट आज दिनांक तक अप्राप्त है। चूंकि अपीलार्थी अपील को आगे नहीं चलाना चाहते हैं तथा पत्रावली की आदेशिका पर नोटप्रेस अंकित कर दिया गया है इसलिये यह अपील आगे चलाये जाने योग्न नहीं है किन्तु प्रकरण में मदिर मूर्ति जो शाश्वत नाबालिग है का हित निहित होने के कारण अपील निम्न निर्देशों के साथ खारिज की जाती है । तहसीलदार लालसोट को अपील के निर्णय की प्रति प्रेषित की जाकर प्रकरण में जॉच पश्चात यदि प्रकरण रेफरेन्स योग्य पाये जाये तो तत्काल सक्षम न्यायालय में रेफरेन्स प्रस्तुत करने बाबत निर्देश जारी किये जाते है । निर्णय की प्रति जिला कलक्टर दौसा को पर्यवेक्षणार्थ प्रेषित की जाये, जो यह सुनिश्चित करावे कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण में विधिवत जॉच की जाकर प्रकरण दौराने जॉच रेफरेन्स योग्य पाये जाये तो रेफरेन्स सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं। इस हेतु पृथक तहरीर तहसीलदार लालसोट तथा जिला कलक्टर दौसा को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (डॉ. प्रवीण कुमार) अति. संभागीय आयुक्त, जयपुर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	